<u>बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना</u>

विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0–............... / 2021

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2022 (सत्र 2020–2022) में सम्मिलित होने के लिए सूचीकृत छात्र–छात्राओं के जारी मूल सूचीकरण कार्ड में परिलक्षित त्रुटि में सुधार करते हुए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन दिनांक 14.08.2021 से 24.08.2021 तक की निर्धारित अवधि में भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना :

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान, इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2022 (सत्र 2020–2022) में सम्मिलित होने के लिए सूचीकृत छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या–**पी0आर0 104/2021 एवं पी0आर0 121/2021** के द्वारा डमी सूचीकरण कार्ड जारी करते हुए उसमें **<u>अंकित छात्र/छात्राओं के नाम, उनके माता–पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय</u>** आदि से संबंधित त्रुटियों के ऑनलाइन सुधार हेतु क्रमशः **दिनांक 28.07.2021 से 05.08.2021 एवं 09.08.2021 से 12.08.2021 तक** अवसर प्रदान किया गया था।

2. विदित हो कि वर्णित अवधि में त्रुटियों के सुधार एवं परिमार्जन के उपरांत छात्र/छात्राओं का **मूल पंजीयन कार्ड** जारी करते हुए **इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2022 (सत्र 2020–2022)** में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन समिति के वेबसाईट **http://inter22.biharboardonline.com** पर परीक्षा आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु विज्ञप्ति संख्या–**पी0आर0 126/2021** के द्वारा **दिनांक 14.08.2021 से 24.08.2021** तक अवधि निर्धारित की गई है।

3. इस क्रम में सूचित किया जाता है कि पूर्व में दिये गये अवसरों के बावजूद यदि किसी छात्र/छात्रा के जारी मूल सूचीकरण कार्ड में **<u>नाम, उनके माता–पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय</u>** में अभी भी त्रुटि रह गई है, तो प्रथमतः इसमें उनके द्वारा सुधार किया जाएगा तथा संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा इसे समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन सुधार किया जाएगा। तत्पश्चात् संशोधित सूचीकरण विवरणी के आधार पर परीक्षा आवेदन भरने की कार्रवाई निर्धारित अवधि **दिनांक 14.08.2021 से 24.08.2021** में की जाएगी।

4. छात्र/छात्रा त्रुटि सुधार कराने हेतु अपने हस्ताक्षर के साथ मूल सूचीकरण कार्ड की दो प्रति अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास उपलब्ध करा देंगे। इसमें से एक प्रति साक्ष्य के रूप में शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर, मुहर एवं तिथि सहित प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दूसरी प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास संधारित रहेगा। विदित हो कि छात्र/छात्रा के नाम, माता/पिता के नाम में पूर्ण परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा।

5. वर्णित परिदृश्य में इन्टरमीडिएट स्तर के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि कंडिका–3 के आलोक में छात्र/छात्राओं के मूल सूचीकरण कार्ड में त्रुटि का संशोधन करते हुए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरेंगे तथा निर्धारित शुल्क जमा करेंगे।

6. विदित हो कि सरकार के द्वारा कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन एवं सभी आवश्यक ऐहतियाती कार्रवाई का विस्तृत निदेश निर्गत है। इस परिदृश्य में संस्थानों में वर्णित कार्य के निर्वहन के लिए पर्याप्त दूरी पर अलग–अलग काउन्टर लगाकर सूचीकरण कार्ड वितरित किये जायेंगे। इस कार्य में प्रतिनियुक्त सभी कर्मी एवं छात्र/छात्रा अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर सोशल डिस्टेन्सिंग का कठोरतापूर्वक पालन करेंगे।

ह0
14.8.21

परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।